न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
75/अपील/2015	02.09.2015	29.06.2018

शंकर लाल आ0 सूरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कल्याणीखेड़ा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)
– अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार करवर जिला बून्दी (राज0)
– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.07.2015
नायब तहसीलदार, करवर
अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से – श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार करवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2015 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म गे.मू.तलाई वाके ग्राम कल्याणीखेड़ा तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये बेदखली, पैनाल्टी 2020/– रूपये एवं 30 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। बिना साक्ष्य व सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वांतो के विपरित है। मौके पर गत 50 वर्षो से कोई गै.मू.तलाई नहीं है तथा तलाई की पाल भी नहीं है। पानी भी नहीं भरता है। राजस्व रिकॉर्ड में गलती से गै.मू.तलाई लिखा हुआ है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट के खाते की चार बीघा व पिता के खाते की 30 बीघा व भाई के खाते की 04 बीघा भूमि है। जिस पर अपीलान्ट

काश्त करता आ रहा है। मौके पर विवादित भूमि की सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान पटवारी के आधार पर अपीलान्ट को कारावास व बेदखली का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो गलत है तथा अपीलान्ट को पूर्व में कभी भी मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। इसलिये अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने ग्राम कल्याणीखेड़ा में गे.मू.तलाई पर अतिक्रमण कर रखा है। गे.मू. तलाई सार्वजनिक हित की भूमि है जो सभी ग्रामवासियों के उपयोग में आती है। अपीलान्ट बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है एवं अतिक्रमण गे.मू.तलाई से कब्जा नहीं छोड़ा है। अतिक्रमण से कब्जा छोड़ने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज शामिल नहीं है। पत्रावली में शामिल फाईल, नकल जमाबंदी में अतिक्रमित भूमि की किस्म गे.मू.तलाई दर्ज है तथा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 में फसल रबी मसूर दर्ज हो रही है। जिससे भी साबित होता है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि गे.मू. तलाई पर अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में भी इस न्यायालय से अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.03.2015 को रिमाण्ड की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया गया था कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये एवं साक्ष्य व राजस्व दस्तावेज प्राप्त कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपीलाधीन आदेश पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर है कि अपीलान्ट ने पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2014 की इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपील सं. 65/2014 निर्णय दिनांक 24.03.2015 से अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये गये थे कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य व दस्तावेज प्राप्त कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करे। उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अतिक्रमी को विधिवत् नोटिस दिया गया है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा कब्जा छोड़ने बाबत् शपथ पत्र दिनांक 29.06.2015 को पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.06.2015 को पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये है। जिसके अनुसार सम्वत् 2071 में अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 में फसल मसूर दर्ज है तथा खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2071 वर्ष 2014–2015 फसल खरीफ में विवादित खसरा नं. 191 रकबा 10 बीघा किस्म गे.मू.तलाई में हकत तथा फसल रबी में मसूर अपीलान्ट शंकर आ0 सूरजमल गुर्जर निवासी कल्याणीखेड़ा दर्ज है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट ने सम्वत् 2071 में फसल खरीफ में अतिक्रमण कर हकत कर कब्जा किया है तथा फसल रबी में मसूर फसल की बुवाई कर कब्जा किया है। उक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट ने ग्राम

कल्याणीखेडा की भूमि खसरा सं. 191 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म गे.मू. तलाई पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय व अपील के साथ कोई दस्तावेज व साक्ष्य कब्जा छोड़ने बाबत् पेश नहीं किये है। मात्र शपथ पत्र कब्जा छोड़ने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। जिससे अपीलान्ट का कब्जा छोड़ने की पुष्टि नहीं होती है। अपीलान्ट विवादित भूमि गे.मू. तलाई पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में भी अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय में है तथा बेदखली की रिपोर्ट पटवारी व बयान पटवारी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव RAS)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)